रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 1973/वैशाख 3, 1895

No. 93] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 1973/VAISAKHA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd April 1973

SUBJECT.—*Import of "Dates" [S. No. 21(b)/IV] from Iraq during September, 1972 March, 1973 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.*

No. 59-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to paragraph 8 of the erstwhile Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 95-ITC(PN)/72, dated 1st July, 1972, paragraph 7 of Public Notice No. 166-ITC(PN)/72, dated 22nd November, 1972 and paragraph 6 of Public Notice No. 189-ITC(PN)/72 dated 22nd December, 1972, according to which licences issued for import of "Dates" from Iraq during the period September, 1972—March, 1973 were valid upto 31st March, 1973.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Iraq in terms of the aforesaid Public Notices may be deemed to have been extended upto the *30th September*, 1973. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

3. It may be clarified that the validity period of these licences will not be extended further under any circumstances.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1973

विषय: वार्षिक आधार पर सितम्बर, 1972–मार्च 1973 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से "खजूरों" (क्रम सं० 21(बी)/4) का आयात—वैधता अवधि में वृद्धि ।

संख्या 59–आई० टी० सी० (पी एन)/73.—आयातकों का ध्यान भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 95–आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 1 जुलाई 1972 की कंडिका 8, सार्वजनिक सूचना सं० 166–आई० टी० सी० (पी एन)/72 दिनांक 22 नवम्बर, 1972 की कंडिका 7 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 189 आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 22 दिसम्बर 1972 की कंडिका 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सितम्बर, 1972–मार्च 1973 की अवधि के दौरान ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंस 31 मार्च, 1973 तक वैध थे ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए/आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता विधि, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार 30 सितम्बर 1973 तक बढ़ाई गई समझी जाए । इस संबंध में संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंसों पर पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं है । यदि आयात अन्य सब बातों में उचित हैं तो सीमाशुल्क प्राधिकारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर माल की निकासी की अनुमति देंगे ।

3. इसे स्पष्ट कर लिया जाए कि किसी भी हालत में इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973